संख्या-20/2015/511/78-1-2015-50आई0टी0/2015

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2015

विषय: उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स मैनयुफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-544, दिनांक 13-05-2015, जिसमें ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स मैनयुफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) के विकास हेतु M/s IL&FS Cluster Development Initiative Ltd को डीपीआर तैयार कराये जाने हेतु कन्सलटेंट/सलाहकार संस्था के रूप में संस्था को क्रयादेश निर्गत किये जाने तथा कार्य सम्पादन पर होने वाले व्यय रू0 75,95,536/- (रूपये पिचहत्तर लाख पिन्चान्नवे हजार पॉच सौ छत्तीस मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स मैनयुफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी) के विकास हेतु M/s IL&FS Cluster Development Initiative Ltd को डीपीआर तैयार कराये जाने हेतु कन्सलटेंट/सलाहकार संस्था के रूप में संस्था को क्रयादेश निर्गत किये जाने का अनुमोदन शासन स्तर से दिये जाने का कोई अवसर नही है। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को सक्षम स्तर हैं।

3- अत: उक्त के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर्स(ईएमसी) के विकास हेतु डीपीआर तैयार कराये जाने हेतु कन्सलटेंट/सलाहकार संस्था को भुगतान किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 का क्रियान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2.15 करोड में से रू0 75,95,536/-(रूपये पिचहत्तर लाख पिन्चान्नवे हजार पॉच सौ छत्तीस मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर, आहरण तथा वितरण का पूरा लेखा-जोखा अपने यहां भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। यदि इस धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि के व्यय उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि के सदुपयोग की समीक्षा, प्रमुख सचिव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा समय-समय पर की जायेगी।

(6) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में "लेखा शीर्ष-2852-उद्योग-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202 इलेक्ट्रानिक्स-04 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग नीति-2014 का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-20/2015/511(1)/78-1-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5& निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, यूपीयूनिट लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, लखनऊ ।
10- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
11- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in